संख्या-12/2017/979 जेड/6-सा-3-2017-04जी/2012

प्रेषक,

राजन शुक्ला,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/कोषाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

राजनैतिक पेंशन अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 28 जुलाई, 2017

विषय: आपातकालीन अवधि (दिनांक 25.06.1975 से 21.03.1977 तक) में मीसा/डी0आई0आर0 में निरूद्ध रहे प्रदेश के राजनैतिक बंदियों/लोकतंत्र सेनानियों को सम्मान राशि का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में जीवित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1378 जेड/6-सा-1-2013-04जी/2012, दिनांक 04.09.2013 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा लोकतंत्र सेनानियों को सम्मान राशि का भुगतान किये जाने हेतु प्रत्येक 06 माह पर जीवित होने का प्रमाण-पत्र प्राप्त किये जाने की व्यवस्था की गयी थी।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 04.09.2013 में प्रत्येक 06 माह पर जीवित होने का प्रमाण-पत्र प्राप्त किये जाने की प्रक्रिया के स्थान पर राजकीय पेंशनर्स एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को पेंशन भुगतान के सम्बन्ध में अपनायी जा रही सामान्य व्यवस्था के समान ही प्रदेश के लोकतंत्र सेनानियों को सम्मान राशि का भुगतान किये जाने हेतु वर्ष में एक बार जीवित रहने का प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,
(राजन शुक्ला)
प्रमुख सचिव।

संख्या-12/2017/979(1) जेड/6-सा-3-2017, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, राजनैतिक पेशन विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, नागरिक सुरक्षा एवं राजनैतिक पेंशन विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. निदेशक/सचिव, उ0प्र0 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद, लखनऊ।
5. प्रभारी एन0आई0सी0 को शासनादेश ऑनलाइन अपलोड किये जाने हेतु।
6. गार्ड बुक।

आज्ञा से
(सूर्य कुमार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in